

प्रेस नोट दिनांक-17.06.2022

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 110

ग्राम नाजायज चरस बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 16.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक नगर श्री राजेश कुमार व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार राय थाना चिलकाना के कुशल नेतृत्व में चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के दौरान अभियुक्त अकबर पुत्र मनसब नि० ग्राम-दुमझेडा थाना चिलकाना, सहारनपुर उम्र- 32 वर्ष को दिनांक 16.06.2022 को समय करीब 16.55 बजे शमशान घाट रोड मौहल्ला मजहर हसन के पास से 110 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 178/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम अकबर उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। अभि० को समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-अभि० अकबर पुत्र मनसब नि० ग्राम-दुमझेडा थाना- चिलकाना, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1-110 ग्राम नाजायज चरस

गिरफ्तार करने वाले अधि०/कर्म०गण

- 1- उ०नि० जितेन्द्र राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- 2- का० 1034 रविन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- 3- का० 837 नीटू कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

## प्रेस नोट दिनांक-17-06-2022

### थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटर साईकिल व अवैध असलहा/कारतूस बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नकुड के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना प्रभारी रामपुर मनिहारान श्री विशाल श्रीवास्तव द्वारा गठित टीम व00उ0नि0 कपिल देव, उ0नि0 आजाद सिंह, का0 686 अर्कित कुमार, का0 1857 राहूल पोसवाल द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक-16.06.2022 को अभियुक्त 1-शेरपुर नहर से आलोक पुत्र रविन्द्र निवासी खजूरी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर व 2-रोकी पुत्र पुरूषोत्तम निवासी खजूरी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को चोरी की 04 मोटर साईकिल,1-मो0सा0 हीरो स्पलैण्डर बिना नम्बर चै0नं0 MBLHA10AMC9D05705 इ0नं0-HA10EJC9D08915,2-स्पैलण्डर रंग काला बिना नम्बर चै0नं0 MBLHA10AMEHM62806 इ0नं0 HA10EJEHM03513,3-मो0सा0 हीरो स्पलैण्डर पल्स रंग काला बिना नम्बर चै0नं0 97C19F06719 इ0नं0 97म1706977,4-मो0सा0 पल्सर रंग काला बिना नम्बर चै0नं0 MD2A17CZ1CCC07808 इ0नं0 JEZCCC11681 व 01 तमन्चा मय 02 कार0 व 01 चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0स0 214/22 धारा 414 भा0द0वि0, मु0अ0स0 215/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0, मु0अ0स0 216/22 धारा 4/25 शस्त्र पंजीकृत किया गया। अभियुक्तो को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता:-

- 1-आलोक पुत्र रविन्द्र निवासी खजूरी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
- 2-रोकी पुत्र पुरूषोत्तम निवासी खजूरी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

#### बरामदगी का विवरण:-

- 1-मो0सा0 हीरो स्पलैण्डर बिना नम्बर चै0नं0 MBLHA10AMC9D05705 इ0नं0-HA10EJC9D08915
- 2-स्पैलण्डर रंग काला बिना नम्बर चै0नं0 MBLHA10AMEHM62806 इ0नं0 HA10EJEHM03513
- 3-मो0सा0 हीरो स्पलैण्डर पल्स रंग काला बिना नम्बर चै0नं0 97C19F06719 इ0नं0 97म1706977
- 4-मो0सा0 पल्सर रंग काला बिना नम्बर चै0नं0 MD2A17CZ1CCC07808 इ0नं0 JEZCCC11681
- 5-01 तमन्चा, 02 कार0 जीन्दा 315 बोर व 01 चाकू नाजायज

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री विशाल श्रीवास्तव थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।
- 2-वरि0उप0निरी0 श्री कपिल देव थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
- 3-उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।
- 4-का0 686 अर्कित कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
- 5-का0 1857 राहूल पोसवाल थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।

## प्रेस नोट दिनांक 17-06-2022

### थाना बेहट पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 16-06-22 को थाना बेहट पुलिस द्वारा नानौली सलेमपुर मार्ग से अभि0 भूरा पुत्र नूरहसन नि0 नानौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर को 01 अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 286/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

### थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा नाजायज छुरी सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 16-06-22 को थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा ग्राम गणेशपुर के पास से अभि0 सावेज पुत्र खुर्शीद निवासी बंजारेवाला थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार को 01 अदद नाजायज छुरी सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 162/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।